संख्या:132/2015/4067/26-3-2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 09 नवम्बर, 2015

विषय: पूर्व दशम (कक्षा-9 एवं 10) छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया दिनांक 05 नवंबर, 2015 को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण से संबंधित वीडियो कान्फ्रेंसिंग का संदर्भ ग्रहण करना चाहें।

2- आप अवगत हैं कि पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जिन छात्रों को विगत वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त हो चुकी है, उनकी छात्रवृत्ति का "नवीनीकरण" किया जाना है और "नवीनीकरण" के छात्रों को छात्रवृत्ति में शासनादेश की व्यवस्थानुसार प्राथमिकता दी जानी है। इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा विभाग से वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कक्षा-9 एवं 11 के छात्रों के आनलाईन पंजीकरण से संबंधित डाटा प्राप्त कर पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अग्रसारित आवेदन-पत्रों का राज्य स्तर पर कम्प्यूटरीकृत मिलान किया गया है।

3- उत्तर प्रदेश सरकार के स्कालरशिप पोर्टल Scholarship.up.nic.in वर्ष 2015-16 में संस्थाओं द्वारा अग्रसारित किये गये छात्रों के आवेदन-पत्रों की संख्या के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्र संख्या, संस्थाओं द्वारा अग्रसारित किये गये छात्रों के आवेदन-पत्र व missing छात्रों की संख्या का जनपदवार एवं संस्थावार विवरण स्कालरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। इसमें नवीनीकरण हेतु अर्ह लगभग 5.05 लाख छात्रों के सापेक्ष कुल 1.04 लाख छात्रों के आवेदन-पत्र को अग्रसारित हुआ दर्शाया गया है, जो अर्ह छात्रों के सापेक्ष मात्र 20.66 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि मिसिंग छात्रों की संख्या लगभग 4.01 लाख (79.34 प्रतिशत) है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- राज्य स्तर पर उपलब्ध डाटा के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रदेश में कुल 13,484 शिक्षण संस्थाओं में बड़ी संख्या ऐसी शिक्षण संस्थाओं की है, जिनके द्वारा वर्ष 2014-15 में अग्रसारित किये गये छात्रों के आवेदन-पत्रों की संख्या के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में नवीनीकरण हेतु अर्ह एक भी छात्र के आवेदन-पत्र को अग्रसारित नहीं किया गया है तथा नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों की संख्या 50 प्रतिशत से भी कम है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श के दौरान यह बताया गया है कि सामान्यतया किसी भी अच्छे शिक्षण संस्था में drop- out rate 05 से 10 प्रतिशत तक रहता है। अतः जिन संस्थाओं में नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों के अग्रसारित आवेदन-पत्रों की संख्या 90 प्रतिशत से कम है, वे प्रथम दृष्टया संदिग्ध श्रेणी में आ जाते हैं। इन सभी संस्थाओं की विस्तृत जांच करायी जानी आवश्यक है।

5- उपरोक्त परिस्थितियों में वर्ष 2015-16 में पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु **जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति** निम्न व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगी:-

नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों के संबंध में

<u>जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर पर</u>

5.1 जनपद के प्रत्येक शिक्षण संस्था के द्वारा स्कालरशिप पोर्टल पर वर्ष 2015-16 में नवीनीकरण श्रेणी तथा नव प्रवेशित छात्रों की संख्या तथा विवरण का पुनः परीक्षण करेंगे।

5.2 जनपद के जिन संस्थाओं से वर्ष 2014-15 में अग्रसारित किये गये छात्रों में से एक भी छात्र का आवेदन-पत्र वर्ष 2015-16 में नवीनीकरण श्रेणी में अग्रसारित नहीं किया गया है अथवा अग्रसारित किये गये छात्रों की संख्या जनपद के औसत से भी कम है, की विशेष जांच शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से करायेंगे। जांच रिपोर्ट के विवरण को स्कालरशिप पोर्टल के **'Inspection Module'** में अंकित करते हुए जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपने कार्यालय में कम-से-कम 01 वर्ष तक सुरक्षित रखेंगे तथा पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की संस्तुति करेंगे। 'Inspection Module' **दिनांक 23नवंबर, 2015** से वेबसाईट पर उपलब्ध हो जायेगा।

<u>जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर पर</u>

5.3 संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी अपने स्तर से भी कम-से-कम 10 प्रतिशत संस्थाओं तथा 05 प्रतिशत छात्रों का रैंडम आधार पर चयन कर भौतिक निरीक्षण करेंगे। रैंडम लिस्ट स्कालरशिप पोर्टल से ही जनरेट किया जा सकेगा। यह सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है। निरीक्षण रिपोर्ट का विवरण स्कालरशिप पोर्टल के **'Inspection Module'** में अंकित की जायेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट अपने कार्यालय में कम-से-कम 01 वर्ष तक सुरक्षित रखेंगे। आवश्यकतानुसार नवीनीकरण श्रेणी के अग्रसारित तथा missing छात्रों की भौतिक जांच

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दिये गये पते तथा अंकित मोबाईल नंबर अथवा बैंक रिकार्ड के आधार पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

नव प्रवेशित छात्रों के संबंध में

5.4 जिन संस्थाओं में नव प्रवेशित छात्रों की संख्या नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों की संख्या से अधिक है, उन सभी संस्थाओं की विशेष जांच जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति वर्ष 2015-16 हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के पूर्व कराना सुनिश्चित करेगी। विशेष जांच का विवरण स्कालरशिप पोर्टल के **'Inspection Module'** में अंकित करायेंगे।

5.5 कल्याण विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों के द्वारा रैंडम आधार पर चयनित 10 प्रतिशत संस्थाओं तथा 05 प्रतिशत छात्रों का भौतिक निरीक्षण किया जाना है। समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि चयनित 10 प्रतिशत संस्थाओं की जांच उनमें से किसी एक के द्वारा कर ली जाय और जांच के दौरान उस संस्था से संबंधित सभी तथ्यों तथा सभी वर्ग के छात्रों की जांच उनके द्वारा की जायेगी। इससे स्पष्ट है कि एक विद्यालय की जांच कल्याण विभाग के एक अधिकारी के द्वारा ही की जायेगी।

6- **<u>जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदन का प्रारूप</u>**

6.1 जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट का प्रारूप निर्धारित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। इस प्रारूप में छात्रवृत्ति का सारांश अंकित किया जाना है। संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि प्रारूप में उल्लिखित सभी बिन्दुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी पत्रावली पर प्रस्तुत करें ताकि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति समस्त तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत संस्थाओं के नवीनीकरण श्रेणी तथा नव प्रवेशित श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में निर्णय ले सके।

6.2 संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे छात्र, जिनके आवेदन-पत्र राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में संदिग्ध पाये गये थे और जिनकी परीक्षणोपरांत छात्रवृत्ति भुगतान की संस्तुति उनके द्वारा की जा रही है, के कारणों का विवरण जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष रखेंगे। इसी प्रकार ऐसे छात्र, जिनके आवेदन पत्र राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में सही पाये गये थे और जिनकी परीक्षणोपरांत उनके द्वारा भुगतान की संस्तुति नहीं की जा रही है, के कारणों का विवरण भी जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष रखेंगे। उनके द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि ऐसे सभी छात्रों के भुगतान को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के कारणों को उनके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से स्कालरशिप पोर्टल पर आनलाईन अंकित कर दिया गया है।

6.3 जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रवृत्ति के प्रस्ताव का पत्रावली में अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उपरोक्त प्रारूप पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारी का हस्ताक्षर प्राप्त कर स्कालरशिप पोर्टल पर स्कैन कराकर अपलोड हो जाय। **उक्त प्रारूप को अपलोड करने की अंतिम तिथि <u>दिनांक 20 दिसंबर, 2015</u> निर्धारित की जाती है।**

उक्त प्रारूप को अपलोड कराने तथा नियमावली/शासनादेश में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन होने के उपरांत ही राज्य स्तर पर भुगतान की कार्यवाही संपादित की जायेगी।

6.4 जनपद स्तर पर करायी गयी जांचों में जिन संस्थाओं के द्वारा फर्जी छात्रों के आवेदन-पत्र को अग्रसारित करने के तथ्य की पुष्टि होती है, उन्हें काली सूची में डालने की संस्तुति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति निदेशक, समाज कल्याण को करेगी। इसके अतिरिक्त संबंधित संस्थाओं की संबद्धता/मान्यता निरस्त करने के संबंध में भी नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

7- कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि</u>

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-132/2015/4067 (1)/26/3/2015 व तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन
2. सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 शासन
3. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 शासन
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश
5. निदेशक, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ
8. गार्ड फाईल

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक

जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदन का प्रारूप

जनपद.....

जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक ..... को आहूत की गयी, जिसमें समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पात्र छात्रों को भुगतान के प्रस्ताव पर विचार किया गया।

2- जनपद में **नवीनीकरण श्रेणी** के छात्रों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र.सं.	विषय	संख्या	निष्कर्ष
1	जनपद में शिक्षण संस्थाओं की संख्या (स्कालरशिप पोर्टल के मास्टर डाटा के अनुसार)		
2.1	वर्ष 2014-15 के डाटा के आधार पर अर्ह नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों की संख्या		
2.2	संस्थाओं द्वारा अग्रसारित छात्रों की संख्या		
2.3	अग्रसारित छात्रों का प्रतिशत (गत वर्ष के नवीनीकरण श्रेणी के अर्ह छात्रों के सापेक्ष)		
विभिन्न स्तर पर किये गये जांच का विवरण			
3	शिक्षण संस्थाओं की संख्या तथा निष्कर्ष, जिनकी जांच जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से की गयी		
4	शिक्षण संस्थाओं की संख्या तथा निष्कर्ष, जिनकी जांच कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा की गयी		
राज्य स्तरीय स्क्रूटनी से संबंधित विवरण			
5.1	राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में सही पाये गये छात्रों की संख्या		
5.2	उपरोक्त में से शिक्षण संस्थाओं तथा उनके छात्रों की संख्या, जिनके भुगतान की संस्तुति जांचोपरांत संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा नहीं की गयी		
5.3	राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में संदिग्ध पाये गये छात्रों की संख्या		
5.4	उपरोक्त में से शिक्षण संस्थाओं तथा उनके छात्रों की		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	संख्या, जिनके भुगतान की संस्तुति जांचोपरांत संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा की गयी		
नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों के संबंध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की संस्तुति			
6.1	नवीनीकरण श्रेणी में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के द्वारा अंतिम रूप से शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रों की संख्या, जिनके छात्रवृत्ति के भुगतान की संस्तुति की गयी		
6.2	शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रों की संख्या, जिनकी छात्रवृत्ति के भुगतान की संस्तुति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के द्वारा नहीं की गयी		

3- जनपद में **नव प्रवेशित छात्रों** की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र0सं0	**विषय**	**संख्या**	**निष्कर्ष**
1	जनपद में शिक्षण संस्थाओं की संख्या (स्कॉलरशिप पोर्टल के मास्टर डाटा के अनुसार)		
2.1	संस्थाओं द्वारा वर्ष 2015-16 के डाटा के आधार पर नव प्रवेशित श्रेणी के अग्रसारित छात्रों की संख्या		
2.2	अग्रसारित छात्रों का प्रतिशत (वर्ष 2015-16 में नवीनीकरण श्रेणी के अग्रसारित छात्रों के सापेक्ष)		
जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा कराये गये जांच का विवरण			
3	शिक्षण संस्थाओं की संख्या तथा निष्कर्ष, जिनकी जांच जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा करायी गयी		
राज्य स्तरीय स्क्रूटनी से संबंधित विवरण			
4.1	राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में सही पाये गये छात्रों की संख्या		
4.2	उपरोक्त में से शिक्षण संस्थाओं तथा उनके छात्रों की संख्या, जिनके भुगतान की संस्तुति जांचोपरांत संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा नहीं की गयी		
4.3	राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में संदिग्ध पाये गये छात्रों की संख्या		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4.4	उपरोक्त में से शिक्षण संस्थाओं तथा उनके छात्रों की संख्या, जिनके भुगतान की संस्तुति जांचोपरांत संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा की गयी		
नव प्रवेशित श्रेणी के छात्रों के संबंध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की संस्तुति			
5.1	नव प्रवेशित श्रेणी में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के द्वारा अंतिम रूप से शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रों की संख्या, जिनके छात्रवृत्ति के भुगतान की संस्तुति की गयी		
5.2	शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रों की संख्या, जिनकी छात्रवृत्ति के भुगतान की संस्तुति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के द्वारा नहीं की गयी		

4- यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेशों में की गयी व्यवस्था का अनुपालन किया गया है।

जिला समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/ अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी जिलाधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।